

अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम नई राज्यास पटवार मण्डल देवरिया संवत 2069 से 72 खाता संख्या 19 आ0न0 176 रकबा 0.03 है0, आ0न0 177 रकबा 0.28 है0, आ0न0 178 रकबा 0.27 है0, आ0न0 180 रकबा 0.05 है0, आ0न0 330 रकबा 0.03 है0, आ0न0 331 रकबा 0.53 है0, आ0न0 332 रकबा 0.62 है0, कुल किता 07 रकबा 1.81 है0 प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम नई राज्यास पटवार मण्डल देवरिया संवत 2069 से 72 खाता संख्या 19 आ0न0 176 रकबा 0.03 है0, आ0न0 177 रकबा 0.28 है0, आ0न0 178 रकबा 0.27 है0, आ0न0 180 रकबा 0.05 है0, आ0न0 330 रकबा 0.03 है0, आ0न0 331 रकबा 0.53 है0, आ0न0 332 रकबा 0.62 है0, कुल किता 07 रकबा 1.81 है0 प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 800/- (अक्षरे आठ हजार रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थीगण से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2017 को केम्प देवरिया सुनाया गया।



(के0आर0 खौड़)

आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा